Protection to States against Internal Rebellion

217. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is the constitutional responsibility of the Central Government to protect States against internal rebellion and situations of gross public disorder;

(b) if so, the reasons for the Central Government not intervening in States on the law and order front;

(c) whether there is any proposal to keep vigil on all States as far as law and order is concerned; and

(d) if so, why Government are not acting in the case of Bihar where the law and order situations has failed at all and dalits are being killed by private armies of upper castes?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (d) Article 355 of the Constitution of India casts a duty on the Union to protect every State from internal disturbance and to ensure that the Government of every State is carried on in accordance with the provisions of the Constitution. Analysis and assessment of law and order in the country is an ongoing process in the Central Government, keeping in view its constitutional obligations. After taking into account, inter alia, the law and order situation, the State of Bihar has been placed under President's rule by invoking article 356 of the Constitution of India w.e.f. 12.2.1999.

Official Status to Regional Languages

218. SHRI ANANTA SETHI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal to grant official status to all regional languages;

(b) if so, by when such proposal is going to be considered and implemented; and

(c) the steps taken in this regard?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (c) Government is of the view that the feasibility to grant official language status to all the languages included in the 8th schedule of the constitution should be examined. A proposal for setting up a committee in this regard is under consideration of the Government.

भारत में कार्यरत ईसाई मिशनरी संस्थाएं

219. **श्री राघव जी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 31 दिसम्बर 1998 को कितनी देशी और विदेशी ईसाई मिशन संस्थाएं कार्यरत थीं और उनका संचालन कितनी एजेन्सियों द्वारा किया जा रहा है;

(ख) उक्त विदेशी मिशन संस्थाएं किन-किन देशों में संबंधित हैं; और

(ग) उक्त भाग (क) में उल्लिखित भारतीय तथा विदेशी मिशनरियों को विदेशों से प्रतिवर्ष कितना धन प्राप्त होता है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 30.6.1998 की स्थिति के अनुसार भारत में 1085 विदेशी मिशनियां रह रही थी। भारतीय मिशनरियों के बारे में इस प्रकार की कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) सूचना विवरण में संलग्न है (**नीचे देखिए**)।

(ग) धार्मिक एसोसिएशनों सहित स्वयंसेवी एसोसिएशनों द्वारा, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त विदेशी अभिदाय के ब्यौरे, गृह मंत्रालय (विदेशी प्रभाग) द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट में निहित हैं। वार्षिक रिपोर्टों (1996-97 तक) की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

विवरण

उन देशों के नाम जिनकी ईसाई मिशनरियां 30.6.98 को भारत में रह रही थी

आस्ट्रेलिया
अस्ट्रिया
बंग्लादेश
बेल्जियम

ब्राजील
कनाडा
चिल्ली
चीन
कोलम्बिया
कोस्टारिका
क्रोशिया
क्रेज
डेनमार्क
ईथोपिया
फिनलैंड
फ्रांस
जर्मनी
गुयाना विसाव
हंगरी
ईरान
आयरलैंड
इटली
जमाईका
जापान
जोर्डन
किनिया
लिथोरिया
मालवी
मलेशिया
माल्टा
मारीशस
म्यांमार (वर्मा)
नीदरलैंड
न्यूजीलैंड
नाईजीरिया
नोर्वे
पेरू
फिलीपीन्स
पोलैंड
पुर्तगाल
रोमानिया
रूस
रवान्दा
सिंगापुर
सल्लोवेनिया
स्पेन
श्रीलंका
स्वीड्न
स्विटजरलैंड
तनजानिया
थाईलैंड
त्रिनिडाड और टोबेगो
यू०एस०ए०
यूनाइटेड किंग्डम
यूगोस्लाविया
जाम्बिया

गुजरात की घटनाओं के संबंध में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की टिप्पणियां

220. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि गुजरात की घटनाओं से बचा जा सकता था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस रिपोर्ट में कुछ संगठनों/संस्थानों को दोषी ठहराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में आयोग की अन्य सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) गुजरात की घटनाओं के संबंध में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से प्राप्त रिपोर्टों को गुजरात राज्य से संबंधित मामलों पर उचित कार्रवाई करने हेतु गुजरात सरकार को भेज दिया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 9(3) के अंतर्गत, राज्य सरकार को धारा 9(1)(ग) के तहत की गई सिफारिशों को, की गई कार्रवाई के ज्ञापन समेत राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है। उपर्युक्त रिपोर्टों में केन्द्र सरकार से संबंधित सिफारिशों की जांच की जा रही हैं। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 9(2) के तहत केन्द्र सरकार को धारा 9(1)(ग) के अधीन की गई सिफारिशों को, की गई कार्रवाई के ज्ञापन सहित संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है। की गई कार्रवाई के ज्ञापन समेत इन रिपोर्टों को यथा समय संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाएगा।